भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 293

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण ऋणग्रस्तता का आकलन

293. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों, कास्तकार किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और प्रवासी कृषि श्रमिकों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से वर्ष-वार, महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और जिला-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के लिए साहूकारों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से लिए गए ऋण सहित उक्त श्रेणियों पर बकाया कुल संस्थागत और गैर-संस्थागत ऋण का वर्ष 2014 से वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एक ऐसी संरचित, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण राहत या समाधान तंत्र शुरू करने का विचार है जो मौजूदा ऋण को कम या समाप्त करे, और जो फसल बीमा, नए ऋण-संबद्ध योजनाओं, दायित्व-सृजन पुनर्गठन या एकमुश्त अनुदान के जैसा न हो;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उक्त के संबंध में पात्रता, वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऋण देने से इतर, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की पुरानी समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक उपाय क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): जहां तक छोटे एवं सीमांत किसानों, बटाईदार किसानों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और प्रवासी कृषि श्रमिकों के बीच ग्रामीण ऋणग्रस्तता के आकलन का संबंध है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसा कोई आकलन नहीं करता है। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, कृषि परिवार ऋणग्रस्तता संबंधी सांख्यिकीय जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संचालित स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस), 2019 में उपलब्ध है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र में प्रति कृषि परिवार औसत बकाया ऋण राशि 82,085/- रुपये है और ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत 54 है (स्रोत:- *एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों तथा परिवारों की भूमि एवं पशुधन धारिता का स्थिति आकलन, 2019*)। इसके अतिरिक्त, एनएसओ द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, उनके द्वारा संचालित अखिल भारतीय ऋणग्रस्तता एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) में केवल व्यावसायिक श्रेणीवार ग्रामीण परिवारों की ऋणग्रस्तता संबंधी आंकड़े तैयार किए गए थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ बनाकर, न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान करके, स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर, युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यवसायों में कुशल बनाकर और उनमें उद्यमशीलता के गुणों का विकास करके, बुनियादी ढांचे के विकास तथा सामाजिक सहायता के प्रावधान के माध्यम से गरीबी को दूर करने और लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से देश में अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों यथा, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (एमएवाई-जी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आदि को कार्यान्वित करता है।
